

# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :-160/2024

ममता लहुआ

—अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, राजस्व मण्डल, अजमेर एवं अन्य।  
—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 21.08.2024

समक्ष :- लेखराज तोसावड़ा, सदस्य  
असलम मेहर, सदस्य

## आदेश

1. प्रकरण की पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता श्री शिवराज चौहान अनुपस्थित तथा प्रत्यर्थी विभाग के राजकीय अधिवक्ता श्री शैलेन्द्र सिंह राठौड़ उपस्थित। उन्होंने अवगत कराया कि प्रस्तुत अपील में 5 माह बाद भी अपीलार्थी द्वारा अधिकरण के आदेश के बावजूद नोटिस पेश नहीं किए गए हैं। अतः प्रकरण के आदेशों की अनुपालना नहीं करने के आधार पर अपील को खारिज किया जावे।
2. पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार अधिकरण के आदेश दिनांक 11.06.2024 द्वारा प्रकरण में नोटिस दस्ती अधिवक्ता अपीलार्थी को दिए जाने हेतु दस्ती किया गया, परन्तु पत्रावली पर नोटिस प्रस्तुत किए जाने के कोई तथ्य/दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। अपीलार्थी की तरफ से नोटिस जारी किए जाने के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है।
3. लिहाजा, अधिकरण के आदेश की अनुपालना नहीं किए जाने के आधार पर अपील, अपीलार्थी खारिज की जाती है।

(असलम मेहर)  
सदस्य

( लेखराज तोसावड़ा )  
सदस्य